



CNR-UPLL010007712026

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट), ललितपुर

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 228/2026

हरीशंकर पुत्र चमनलाल, उम्र 51 वर्ष, निवासी जेल चौराहा, झांसीपुरा, थाना कोतवाली ललितपुर।

...आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

स्टेट ऑफ यू.पी.

...अभियोगी/विपक्षी।

जी०एस०टी० संख्या 646/2020

मु०अ०सं० 676/2020

अन्तर्गत धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट,

थाना कोतवाली ललितपुर।

**11.03.2026**

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त हरीशंकर पुत्र चमनलाल द्वारा जी०एस०टी० संख्या 646/2020 मु०अ०सं० 676/2020 अन्तर्गत धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली ललितपुर में दाखिल किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र के कथन संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक/अभियुक्त प्रकरण में पूर्व से दिनांक 22.04.2020 को न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार जमानत पर था। आवेदक अपने परिवार का भरण-पोषण हेतु मजदूरी का कार्य करता है, बीमार रहता है और तीव्र दर्द होने के कारण व ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण विगत तारीख पेशी पर हाजिर अदालत नहीं आ सका था। जिस कारण न्यायालय द्वारा उसकी अनुपस्थिति में गैर जमानतीय वारण्ट जारी कर दिया गया। उक्त प्रकरण में वह पूर्व से जमानत पर था। अभियुक्त ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। उसका आसपास के क्षेत्र में भय आतंक नहीं है और न ही अभियुक्त का एक संगठित गिरोह का सदस्य है, वह मजदूर व्यक्ति है। वह कभी किसी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलापों में लिप्त नहीं रहा है। पुलिस ने उसे रंजिशन झूठा फसाया है। वह जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

3. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर अपराध से आरोपित है। अभियुक्त एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है एवं उसके विरुद्ध एनबीडब्लू जारी होने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उसके द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया था। उसको जमानत दिये जाने पर उसके फरार होने, गवाहों को डराने, धमकाने की संभावना है। थाने की रिपोर्ट अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध 05 अन्य मुकदमें दर्ज हैं। 1. मु०अ०सं० 365/2019, 2. मु०अ०सं० 509/2019, 3. मु०अ०सं० 510/2019, 4. मु०अ०सं० 17/2022, 5. मु०अ०सं० 18/2022 थाना पर पंजीकृत हैं। उसका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। अतः अभियुक्त की जमानत निरस्त की जाए।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था, उसके द्वारा न्यायालय के आदेशों एवं जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर अपराध से आरोपित है। अभियुक्त एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है एवं उसके विरुद्ध एनबीडब्लू जारी होने पर पेश हुआ। बहस दौरान तर्क किया गया है कि आवेदक अपने परिवार का भरण-पोषण हेतु मजदूरी का कार्य करता है, बीमार रहता है और तीव्र दर्द होने के कारण व ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण विगत तारीख पेशी पर हाजिर अदालत नहीं आ सका था। जिस कारण न्यायालय द्वारा उसकी अनुपस्थिति में गैर जमानतीय वारण्ट जारी कर दिया गया। उक्त प्रकरण में वह पूर्व से जमानत पर था। अभियुक्त ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। उसका आसपास के क्षेत्र में भय आतंक नहीं है और न ही अभियुक्त का एक संगठित गिरोह का सदस्य है, वह मजदूर व्यक्ति है। वह कभी किसी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलापों में लिप्त नहीं रहा है। आवेदक उक्त मामले में जिला कारागार ललितपुर में दिनांक 05.01.2026 से निरुद्ध है, उसके जेल में निरुद्ध रहने से उसके मन-मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र एवं आधार कार्ड प्रति दाखिल किये गये हैं। थाने की रिपोर्ट अनुसार आवेदक के विरुद्ध 05 अन्य मुकदमें दर्ज हैं। 1. मु०अ०सं० 365/2019, 2. मु०अ०सं० 509/2019, 3. मु०अ०सं० 510/2019, 4. मु०अ०सं० 17/2022, 5. मु०अ०सं० 18/2022 थाने पर पंजीकृत होना कहा है, जिनमें वह जमानत पर है। अतः उपरोक्त विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुये व गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

#### आदेश

आवेदक/अभियुक्त हरीशंकर पुत्र चमनलाल द्वारा जी०एस०टी० संख्या 646/2020 मु०अ०सं० 676/2020 अन्तर्गत धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली ललितपुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-228/2026 स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु० 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू(जिसमें से एक परिवार के सदस्य का हो) दाखिल करने पर, उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है-

1. आवेदक/अभियुक्त को न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

2. आवेदक/अभियुक्त अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोई छूट आवेदन नहीं देगा और समस्त न्यायिक कार्यवाही में आवश्यकतानुसार सहयोग करेगा।

दिनांक 11.03.2026

(सुनील सिंह)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/  
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट),  
ललितपुर।